Advisor (Tech), NWM

(11)

- (iii) जिनकी मूल विभाग या संगठन में (वेतन बैंड-4 37400-6700 ग्रेड वेतन 8700 रु.) कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा है।
 - (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं :
 - (i) विज्ञान में मास्टर डिग्री रखते हैं या सिविल या कृषि संसाधन या पर्यावरण इंजीनियरी में बैलचर डिग्री रखते हैं;
 - (ii) जल संसाधन के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष कार्य का अनुभव व कुल बारह वर्ष कार्य का अनुभव है।

टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन व में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रा की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम अ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं हो। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लि अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे इन वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना क किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा के सिवाय उस दशा के से अधिक पर्व पनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनम एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन साधारण प्रतिरूथापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारि आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेव जाएगी।

विभागीय प्रोन्तित समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा परामर्श किया जाएगा		
(12)	(13)		
लागू नहीं होता	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामश आवश्यक है।		
	[फा. सं. 9/1/201		

एल. पी. शर्मा, अ

New Delhi, the 2nd May, 2013

- G.S.R. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, F hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Advisor (Technical) of the Water Mission Secretariat in the Ministry of Water Resources, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Water Mission Advisor-Technical Group 'A' post Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay/pay scale.—The number of said post, its class and other matters relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rule
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, a qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.